

## प्रेस नोट थाना बासगांव दिनांक 02-07-2021

### गिरफ्तारी एक नफर वांछित अभियुक्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव, के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रतन कुमार पाण्डेय मय हमराह कर्मचारीयो की मदद से लगातार दबिश व मुखबीर तंत्र की बदौलत मु0अ0सं0 02/2020 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुकूरता अधिनियम 307 भा0द0वि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित अभियुक्त प्रभुनाथ पुत्र सिधारू निवासी ग्राम बलुआ बेलवा खुर्द थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर को दशरथपुर पुलिया थाना ऊरवा बाजार व बांसगांव बार्डर से समय करीब 13.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

#### नाम पता अभियुक्तगण-

प्रभुनाथ पुत्र सिधारू निवासी ग्राम बलुआ बेलवा खुर्द थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर

#### पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 02/2020 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुकूरता अधिनियम 307 भा0द0वि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

#### गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 02/07/2021 समय 13.40 बजे गिरफ्तारी का स्थान- दशवतपुर पुलिया थाना ऊरवा बाजार व बांसगांव बार्डर से

#### गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 रतन कुमार पाण्डेय (चौकी प्रभारी कौड़ीराम)
3. आरक्षी दुर्गाविजय चौहान
4. आरक्षी संतन यादव